गिरवर सिंह बनाम सरकार/नाबालिग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज पत्थरगढ़ी मुक्ब. – 6/2023
06.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 06/06/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2023	2023/043	01.02.2023	06.06.2023

उनवान प्रकरण

1. गिरवरसिंह पुत्र किशनपालसिंह आयु 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. पप्पूराम पुत्र गोपीराम यादव आयु 40 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी महतावाली तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
3. मोहनलाल पुत्र गोपीराम आयु 45 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी महतावाली तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
4. ब्रदीसिंह पुत्र रूड़सिंह आयु 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
5. जानकी देवी पत्नी लक्ष्मणराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी बी–54, जमनापुरी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर जिला जयपुर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:44 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

———प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——अप्रार्थी

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी</u>

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2608, 2625, 2626 कुल किता 3 कुल रकबा 1.72 हैक्टर तन् ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है, जिसके प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदार दर्ज जमाबंदी अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के आदेश / क्रंमाक / एल.आर / 22 / 34 की पालना में दिनांक 13.06.2022 को किया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियो की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। उक्त वर्णित भूमियो के चारो तरफ की सीमाओ पर कोई स्थायी सीमा चिन्ह् नही है। मौके पर भूमि खाली है। वर्तमान में मौके पर उक्त भूमियो में कोई फसल भी काश्त की हुयी नही है। खातेदार मदनसिंह, रविन्द्रसिंह, उच्छब कंवर, औंकारसिंह, मधु पत्थरगढ़ी करा[illegible] नही हैं, ना ही उक्त खातेदार पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। इसलि[illegible] है। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2608, 2625, 2626 कुल किता 3 कुल रकबा 1.72 हैक्टर तन् ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:44 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान करने का निवेदन प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की नोटिस तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 404/भू.अ./23 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि – पटवारी हल्का मऊ की रिपोर्ट अनुसार

राजस्व ग्राम मऊ पटवार मण्डल मऊ खसरा नम्बर 2608, 2625 एवं 2626 किता 3 कुल रकबा 1.72 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान 13.06.2022 को करवाया जा चुका हैं। खसरा नम्बर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी मे वादी के अलावा अन्य सह–खातेदार सहमत नहीं है। मौके पर भूमि खाली हैं। फसल काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान पर मुताबिक रिकार्ड किसी न्यायालय का स्थगन या वाद विचाराधीन नहीं हैं। मुताबिक पटवारी हल्का मऊ की मौका एवं जांच रिपोर्ट के भूमि खसरा नम्बर 2608, 2625, 2626 कुल किता 3 कुल रकबा 1.72 हैक्टर का फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.22 को की गई हैं। संयुक्त निजी खातेदारी में प्रार्थीगण के अलावा अन्य सहखातेदारान पत्थरगढ़ी करवाने हेतु सहमत नहीं होना प्रकट होता हैं। मौके पर भूमि खाली होना तथा कोई फसल काश्त नहीं होना प्रतित होता हैं।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का अन्तिम निस्तारण ... किया जावे।

Signature Not Verified

हमने वकील ... एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण ... सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अं... चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत्

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:44 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

[illegible]-2017, फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट, नजरी नक्शा व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2608, 2625, 2626 कुल किता 3 कुल रकबा 1.72 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का मऊ के द्वारा दिनांक 08.05.2023 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 08.05.2023 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 11/एल.आर. /2023 दिनांक 28.04.2023 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का मऊ के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्व[illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राज[illegible] को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का मउ द्वारा दिन[illegible] 08.05.2023 को किए गए

सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा 2608, 2625, 2626 कुल किता 3 कुल रकबा 1.72 हैक्टर ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपये प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा की जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का मउ द्वारा दिनांक 08.05.2023 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व मींढ डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:44 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)